# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी धोरीमन्ना (जिला–बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या : 60 / 2022

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1. बाबुलाल पुत्र लालाराम<br>2. भुपाराम पुत्र लालाराम<br>3. माडूदेवी पत्नी लालाराम<br>4. देदाराम पुत्र लुम्बाराम<br>5. भलाराम पुत्र लुम्बाराम<br>जातियान मेगवाल निवासी ताजाणियों की ढाणी लोहारवा तहसील धोरीमन्ना | | 01 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना |

## राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्त करने बाबत्।

तारिख रजू : 17.05.2022

अधिवक्ता

01. श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
02. पैराकार सरकार

## –: : निर्णय : :–

दिनांक : 07.06.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्त करने का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खेत खसरा संख्या 554 क्षेत्रफल 5.6313 हेक्टेयर का वक्त सेटलमेंट से अलग चला आ रहा है वक्त सेटलमेंट का मोमी ट्रेस नक्शा की प्रतिलिपि सलग्न पेश है प्रार्थीगण के [illegible] में इस खसरे में समाहित है तथा उतर में खसरा संख्या 555 [illegible] संख्या 552 आया हुआ है प्रार्थीगण के खेत का [illegible] वक्त सेटलमेंट से ऑनलाईन होने तक अनवरत रूप से नक्शे में व कब्जे में चला आ रहा है लोहारवा ग्राम से नवसृजित राजस्व ग्राम ताजाणियों की ढाणी में खसरा संख्या 554 रकबा 34–17 बीघा जो हल्का पटवारी द्वारा जारी नक्शा कमांक 2213 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

17.05.2016 के अनुसार खेत खसरा संख्या 530 की तरफ जो पुर्वी सेढ़ा जो खसरा संख्या 558 की तरफ से दुगना था जो सेटलमेंट से वर्ष 2021 तक इसी अनुसार तरमीम व नक्शा में दर्ज था इसी अनुसार अनवरत कब्जा था उपरोक्त नक्शे की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ पेश है उक्त रेकर्ड का वर्ष 2020–21 में ऑनलाईन सेरीग्रेसन में नक्शा फिडींग करते समय पुर्व का व पश्चिम का सेढ़ा जो एक दुसरे से दुगना था जबकि ऑनलाईन में दोनो सेढो को बराबर कर आयताकार रूप दे दिया जिससे सड़क पर स्थित सेढ़ा पुर्व के मुकाबले चौथा हिस्सा कम हो गया जिससे प्रार्थी की ढाणी, चारवाड़ा खसरा संख्या 552 में चले गये इस त्रुटि को सुधारने के लिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार व हल्का पटवारी को प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु तात्कालिक हल्का पटवारी रणजितसिंह ने खसरा संख्या 552 के खातेदारो के अनुचित लाभ के दबाव में सही नही किया ओर सड़क पर उनकी तरमीम कलमी त्रुटि से अधिक कर दिया जिससे प्रार्थीगण को अपुर्णिय क्षति होने पर दिनांक 23.11.2021 को प्रार्थीगण ने तहसीलदार को पेश की जिससे 26.11.2024 को पत्र क्रमांक 1625 द्वारा हल्का पटवारी को दुरस्ती हेतु लिखा गया परन्तु दुरस्त नही करने पर श्रीमान के न्यायालय में पेश किया गया इस प्रकार वक्त सेटलमेंट के नक्शे को व तरमीम को कलमी त्रुटि द्वारा बदला नही जा सकता है इसीलिए प्रार्थीगण अपने खेत की तरमीम वक्त सेटलमेंट से लेकर वर्ष 2022–21 तक रही तरमीम के अनुसार दुरस्त करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया एवं अप्रार्थी का जरिए रजि. डाक ए.डी. से नोटिस भिजवाए गए. विप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा न्यायालय ने दिनांक 06.12.2022 को उक्त राजस्व आवेदन में मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जिस पर विप्रार्थी ने दिनांक 31.01.2023 को एक रिपोर्ट मौके की जांच कर पेश की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम ताजाणियों की ढाणी खसरा संख्या 554, 553 रकबा 35–00 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उक्त खसरा नम्बर 554 के उतर में 535 दक्षिण में 552 पुर्व में 559 एवं पश्चिम में कटाण मार्ग 530 है जो वर्तमान में मौके पर डामर सड़क के रूप में स्थित है खसरा नम्बर 554 के वक्त बन्दोबस्त नक्शे में माप पुर्वी माठ 47 गट्ठा पश्चिम [illegible] में [illegible] गट्ठा है जो आकृति अनुसार पुर्वी माठ से पश्चिमी माठ चोड़ी है जो मौके पर भी कब्जा काश्त इसी प्रकार है खसरा संख्या 554 के वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में सेरीग्रेसन के समय 554 की आकृति में बदलाव हुआ जो पुर्वी व पश्चिमी माठ में बराबर है अतः वर्तमान में खसरा नम्बर 554 के ऑनलाईन नक्शे को भू प्रबंध के नक्शा अनुसार शुद्धि करना

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकर्ड व भू धारक के हित में उचित रहेगा जांच रिपोर्ट के साथ ऑफ लाईन नक्शा पेश किया है जिसमें सड़क की तरफ स्थित सेढ़ा स्पष्ट रूप से पुर्वी सेढ़े से दुगुना है तथा वक्त सेटलमेंट के मोमी ट्रेस की फोटो प्रति भी लगी हुई है जो ऑफ लाईन नक्शे के समान है जबकि वर्तमान ऑनलाईन नक्शा में दोनो भुजाएं बराबर करती है जो अनुचित व अवैध है तथा उक्त प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना को उसी समय तत्काल दुरस्त करना विधि समत था इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पेश राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया जिसमें उक्त कलमी त्रुटि प्रमाणित है तहसीलदार की रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई बहस सुनी गई प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों को दोहराते हुए उक्त तरमीम ऑफलाईन व भू प्रबंधन के नक्शा अनुसार दुरस्त करने का निवेदन किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् नजरी नक्शा, जमाबंदी एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार धोरीमन्ना का गहनता से अध्ययन किया गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मौजा ताजाणियों की ढाणी पटवार हल्का लोहारवा के खेत खसरा संख्या 554 रकबा 5.6413 हेक्टेयर की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को ऑफलाईन तरमीम व भू प्रबंध के नक्शा अनुसार दुरस्त करते हुए रास्ता खसरा संख्या 530 की तरफ की तरमीम 84 गट्ठा व पुर्वी सेढ़े की तरमीम 47 गट्ठा करते हुए भू प्रबंध के नक्शा से मिलान कर दुरस्त किया जावें। इसी अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित एंव विधिसंगत समझते हैं ।

## –: : **आदेश** : :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरुस्त करने का भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested

01. कि सरहद मौजा ताजाणियों की ढाणी पटवार हल्का लोहारवा के खेत खसरा संख्या 554 रकबा 5.6413 हेक्टेयर की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को ऑफलाईन तरमीम व भू प्रबंध के नक्शा अनुसार दुरस्त करते हुए रास्ता खसरा संख्या 530 की तरफ की तरमीम 84 गट्ठा व पुर्वी सेढ़े की तरमीम 47

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
[illegible]
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

गड्डा करते हुए भू प्रबंध के नक्शा से मिलान कर दुरस्त किया जावें। तहसीलदार धोरीमन्ना भू–अभिलेख में अमल–दरामद कर ऑनलाईन नक्शे में भू प्रबधं के नक्शा अनुसार दुरस्त करने हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्र सिंह आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 13:59:10 IST
Reason: SelfAttested